कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 6643 दिनांकः 19.11.2024

निमित्तः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान,जयपुर।

विशयः–Diversion of 0.936ha. of forest land in favour of public Work Department Aklera Jhalawar Rajasthan for Construction for road Beenaganj to Balwantpura under RIDF Scheme in Jhalawar dist.
(Proposal No.FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंगः– उप वन संरक्षक, झालावाड का पत्रांक 16277 दिनांक 28.10.2024 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एफसीए मिटिंग 18.10.2024 को दिए गए निर्देशों की पालना में पुनः रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.सं.	लगाये गये आक्षेप	पूर्ति
1.	अवशेष राशि 718478/–रू का मिलान अभी कैम्पा खाते में नही हो रहा है।	अवशेष राशि 718478/–रू कैम्पा खाते में दिनांक 22.04.2022 को जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है
2.	वनाधिकार प्रमाण पत्र मय संलग्न नही है।	वनाधिकार प्रमाण पत्र मय पत्र के साथ संलग्न है।
3.	उप वन संरक्षक द्वारा अद्यतन "No Violation Certificate"	क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई गैरवानिकी कार्य नही हुआ है। पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 6644 दिनांकः 19.11.2024

प्रतिलिपिः–01. उप वन संरक्षक, झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
11871450

Signature valid

Digitally signed by Rama Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.19 1?:31:44 IST
Reason: Approved

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 6645 दिनांकः 19.11.2024

निमित्तः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान,जयपुर।

विषयः– Construction of Road from Barodiya to jatamari under RRSMP (phase ll) in Rajasthan in Dist. Jhalawar.

प्रसंगः– उप वन संरक्षक, झालावाड का पत्रांक 15056 दिनांक 20.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.1 (52) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैधांतिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। एफसीए मिटिंग दिनांक 18.10.2024 की पालना में एफआरए प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 6646 दिनांकः 19.11.2024

प्रतिलिपिः–01. उप वन संरक्षक, झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
11872777

Signature valid
Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.19 1?:30:18 IST
Reason: Approved

emailed on 19/11/24 at 6:04 pm

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 6647 दिनांकः 19.11.24

निमित्तः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान,जयपुर।

विषयः– Construction of NH- 12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (phase ll) in Rajasthan.

प्रसंगः– उप वन संरक्षक, झालावाड का पत्रांक 15056 दिनांक 12.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्रांक प.1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैधांतिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। एफसीए मिटिंग दिनांक 18.10.2024 की पालना में एफआरए प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 6648 दिनांकः 19.11.2024

प्रतिलिपिः–01. उप वन संरक्षक, झालावाड को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

RajKaj Ref
11873200

Signature valid

Digitally signed by Ram Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2024.11.19 1?:28:56 IST
Reason: Approved

emailed on 19/11/24 at 6:02 pm

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 1057

दिनांक : 26.12.2023

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :– डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा झालावाड राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रोम बीनागंज टू बलबटपुरा अण्डर आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड डिस्ट्रिक्ट झालावाड (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंग :– आपके कार्यालय के पत्र कमांक एफ ( )/एफसीए/उवसं/2023/11019 दिनांक 16.10.2023 के कम में।

महोदय,

उपराक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि उक्त कार्य का संशोधित डिमाण्ड राशि रू. 1709586/– को पूर्व मे स्वीकृत कार्य Construction of Road A/R to Sanwalda under State Plan 5054 . Capital lay on road and bridge (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7609/2015) को जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1 (44) वन/2015 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा निरस्त की गयी (प्रतिलिपी संलग्न) की जमा राशि 12697639/– मे से राशि रू. 929810/– समायोजित करने की स्वीकृति उपरान्त राशि रू. 718478/– जमा करवा दी गई (चालान प्रतिलिपी संलग्न) उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अनुपालना रिपोर्ट लगाई गयी शर्तो की बिन्दूवार पालना कर विधिवत स्वीकृति एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कमांकः दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन मुख्य संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त झालावाड

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 1057 दिनांक : 26.12.2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषयः– :– डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा झालावाड राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रोम बीनागंज टू बलबटपुरा अण्डर आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड डिस्ट्रिक्ट झालावाड (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015)

प्रसंगः– आपके कार्यालय के पत्र कमांक एफ ( )/एफसीए/उवसं/2023/11019 दिनांक 16.10.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प.1(68) वन/2017 दिनांक 02.04.2018 से प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना मे प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है–

क.सं.	बिन्दूवार विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा । प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एंव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एंव उनके संररक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हाँ जी परियोजना निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेंगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षैत्र के आस–पास मजदूरो/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।	हाँ जी प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जोयगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।	हाँ जी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी /पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।	हाँ जी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जायेगा की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

<table>
<tr><td>8</td><td>प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।</td><td>हाँ जी प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगें की अण्डर टेकिंग संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा संभव राशि जमा की जायेगी।</td><td>पातन किये जाने वाले पेंडो की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है, जिसका विवरण कम संख्या–10 मे अंकित है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05. 02.2009 के तहत् दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की राशि जमा की जायेगी।</td><td>जी हॉ, उपसंरक्षक झलावाड के पत्रांक एफ ( )/एफसीए/उवसं/ 2023 /11019 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा डिमाण्ड राशि रू. 1648288/– मे से समायोजित राशि रू. 929810/– के अतिरिक्त जमा करवायी जाने वाली राशि रू. 718478/– नोडल अधिकारी के वेरिफिकेशन उपरान्त खण्ड कार्यालय के A/C द्वारा (WAM Reference No 49684242) यूनियन बैंक के चालान नं0 6111683852 मे A/C No. 150856111683852 मे जमा करवा दिये गये है। जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या</th><th>मद</th><th>डिमाण्ड नोट (श्रमिक दर 259 रूपये)</th><th>समायोजित राशि</th><th>जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>शर्त संख्या 9</td><td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण</td><td>735896</td><td>17418</td><td>718478</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शर्त संख्या 10</td><td>एनपीवी</td><td>896482</td><td>896482</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>–</td><td>Soil and moisture treatment works</td><td>15910</td><td>15910</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">योग :–</td><td>1648288</td><td>929810</td><td>718478</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11</td><td>प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरो मे बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।</td><td>हॉ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगी।</td><td>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</td></tr>
</table>

13	भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012 / एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	हाँ जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गयी है।समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्ते के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– 1. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
2. समाचार पत्र की प्रति।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांकः 1057 दिनांकः 26.12.2023

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन मुख्य संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त झालावाड़

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Reference No :49684242

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

				Month/Year	Dec/2023
Department Code	65	Department Name	Public Works Department		
Detailed Wam bill of	EX.eng pwd Div-Aklera(15294)			OfficeID	15294
Bill For Works Payment	WAM Payment	Reference No	3846607	Wam Reference No	#1/1 of 865675
Division Name	EX EN PWD AKLERA	Division Code	103	Bill No	49684242
Date	21/12/2023	Demand No	44	DDOCode	15294
TAN	JDHE00424E	Object Head	74	Budget Head	5054-04-800-02-01/SFV
SF	811880.00 NonPlan 0.00	NA	0.00	ContigencyHead	

To,

The Treasury/Sub Treasury OfficerAKLERA
Please Order to pay ₹ 718478 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk | Sign of DA | Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of online allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Digitally signed by Khem Chand Meena
Date: 2023.12.21 16:11:15 +05:30
Reason: KHEM CHAND MEENA

Sign (With Seal)/Digital ESign of DDO

9414966715

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(in Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	RAJASTHAN CAMPA UNION BANK OF INDIA FCS CENTRE 21/1 III FLOOR JELITTA TOWERS MISSSION ROAD BENGALURU 9414966715	UNION BANK OF INDIA 150856111683852 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	811880.00 718478.00	3846607	2059-80-001-04-01 57478.00 2059-80-052-04-01 14370.00 3054-03-337-01-03 21554.00

Gross Amount Rs. 811880.00 | B.T.Amount: Rs.93402.00 | Net Amount:Rs. 718478.00

Amount In Words : SEVEN LAKH EIGHTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY EIGHT Only

Digitally signed by Khem Chand Meena
Date: 2023.12.21 16:11:21 +05:30
Reason: KHEM CHAND MEENA

Sign Of DDO with Sign/Digital ESign of DDO

<u>For Accountant General Office</u>

Admitted ₹

Objected ₹

Auditor | Supdt | Gaz.Officer

<u>**Treasury Voucher**</u>

No: | Date :

Pay ₹ : 811880.00

(In Words) : EIGHT LAKH ELEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY ONLY

B.T. Heads : 93402.00

Total : 93402.00Only

(In Cash) ₹ : 718478.00

(In Words) : SEVEN LAKH EIGHTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTY EIGHT ONLY

Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer ESign

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date

PayManager Ref Id(s) 3846607

BillRef No. 12144, Dated: 21/12/2023

Division Name EX.eng pwd Div-Aklera

Division Code 15294

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscollaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: **Approach Road Balbatpura (Forest Area)**

Vendor Name: **RAJASTHAN CAMPA**

Sanction/Autorization/BillNo. Dated **21/12/2023**

Reason: **N/a**

Bank AccountNo.- **150856111683852**

Bank IFSC Code **UBIN0996335**

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: **7,18,478**
(In Words):**Rupees Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundreds Seventy Eight Only**

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	718478	WorkId: 173616

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3846607	5054-04-800-02-01-74-V-P		718478	WorkId. 173616
	Payment Through Treasury	718478		
	5054-04-800-02-01-74-V-P		93402	Prorata WorkId: 173616
	2059-80-001-04-01-98-V-P	57478		Prorata
	2059-80-052-04-01-98-V-P	14370		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	21554		Prorata

Net Amount Payable In Figures: **7,18,478**

Net Amount Payable In Words **Rupees Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundreds Seventy Eight Only**

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Devendra

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 21-12-2023

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6111683852
MoEF/SG File No.	F.1(68)FOREST/2017
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. AkleraJhalawar
Amount(in Rs)	718478/-

Amount in Words Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856111683852 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date 21-12-2023

Agency Name	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6111683852
MoEF/SG File No.	F.1(68)FOREST/2017
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	718478/-

Amount in Words Seven Lakh Eighteen Thousand Four Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856111683852 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed for Rs. 718478/-

(Rs. Seven lac's Eighteen Thousand four Hundred) Seventy Eight Only.

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
ई० डी० ओ० 15

Un...

mail

Mailbox of pwdaklera

ect: Email Alert From System Administrator of Online Submission and nitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

om: monitoring-fc@nic.in on Wed, 22 Nov 2023 11:00 53

To: pwdaklera@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. **Proposal No.** : FP/RJ/ROAD/11683/2015
2. **Proposal Name** : Road from Beenaganj road to Balwatpura
3. **Category of the Proposal** : Road
4. **Date of In-principle** : 15/04/2015
5. **Name of the Applicant with Contact Details**

Name	: EXECUTIVE ENGINEER
Mobile No.	: 9828442087
Email ID	: pwdaklera@rediffmail.com
State	: Rajasthan
District	: Jhalawar
Pincode	: 326033

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 718478/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 0/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Other Charges1	: Rs.0/-
10. Other Charges2	: Rs.0/-
11. Other Charges3	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 718478/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

22/11/23

संशोधित

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023/11019 दिनांकः 16/10/23
निमित्तः–

अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड– अकलेरा।

विषयः– डायवर्जन ऑफ 0.936 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन फेवर पीडब्ल्यूडी अकलेरा, झालावाड़ राजस्थान फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रोम बीनागंज टू बलवंतपुरा अण्डर आरआईडीएफ स्कीम इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट।
(प्रस्ताव सं.FP/RJ /ROAD /11683 /2015)

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 10057 दिनांक 08.09.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र से प्रकरण में जमा करवाई जाने वाली राशि का डिमांड नोट प्रेषित किया गया था। श्रमिक दर में बढ़ोतरी 252/– से 259/– होने के कारण आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से चाहा गया संशोधित डिमाण्ड नोटं निम्नानुसार प्रेषित किया गया था। उक्त डिमान्ड राशि मे से 929810/–रू अप्रोच रोड़ सावल्दा में जमा राशि के बदले समायोजित कर ली गई है।

क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृती की शर्त संख्या	मद	डिमांड नोट (श्रमिक दर 259 रूपये)	समायोजित राशि	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि
1.	शर्त संख्या 9	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	735896	17418	718478
2.	शर्त संख्या 10	एनपीवी	896482	896482	0
3.	–	Soil and moisture treatment works	15910	15910	0
4.		योग :–	1648288	929810	718478

शुद्ध देय राशि 718478/–

अतः उक्त राशि केम्पा अकाउंट में जमा करवावें साथ ही सैद्धन्तिक स्वीकृती में लगाई गई शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें तथा बिना स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य नही किया जाना सुनिश्चत करावें।

o/c (वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़
दिनांकः 16/10/23

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023/11020–23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति0. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोहरथाना/अकलेरा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही हो उसकी सुनिश्चितता करें

o/c उप वन संरक्षक
झालावाड़

17/10/23

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (44) वन/2015 — जयपुर, दिनांक :- 10.04.2023

आदेश

Construction od Road A/R to Sawalda under State plan 5054- capital lay on road and bridge (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7609/2014) के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.03.2015 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
5. जिला कलेक्टर, कोटा।
6. उप वन संरक्षक, झालावाड़
7. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग अकलेरा, जिला झालावाड़, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid
Digitally signed by M[illegible]li Sen
Designation: Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.04.[illegible] [illegible]:29:10 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता – वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर [illegible], [illegible] राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या – 0141–2227762 Mail ID [illegible]
RAJ [illegible] Ref No.: [illegible]

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नही होगा।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में निर्माण कार्य के दौरान प्रस्तावित स्थल/वनक्षैत्र के आस–पास मजदूरो/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

:

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में अनुपालना में निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जोयगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया करवाया जायेगा।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगें।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धादित राशि जमा की जायेगी।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar .**
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाने पर आपत्ति नही है।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– **Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in Distt. Jhalawar . (Proposal No. FP/RJ/ROAD/11683/2015 (0.936 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करना सुनिश्चित् करवा दिया जायेगा।

(खेमचन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

से अप्रैल माह में विभिन्न विभागों

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक: दिनांक:

वन विभाग की सैंद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तें

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक: प.1 (68) वन/2017 जयपुर दिनांक:- 02.04.2018

विशय:- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in District Jhalawar

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015

महोदय

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयाकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानवूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्रसरकार के पत्र संख्या एफन. 11-9/98- एफ्सी दिंनाक 03.01.2005. 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII&XIX in Rajssthan in District Jhalawar में 0.936 हेक्टर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एंव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एंव उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षैत्र के आस-पास मजदूरो/स्टाफके लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफको रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जोयगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविस्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP(Online Submission & monitoring of forest wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफसी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 - CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदथ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई- चालान की छायाप्रति जमा की गई की गई धन राशि का बैंक चालानें यूटीआर संख्या/एनईएफ्टी नम्बर की छायाप्रति सहित सैंद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरो मे बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगी।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफ्सी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिष्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरश: प्रकाशित करावे एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एंव बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय

(योगेन्द कुमार दक)

शासन सचिव-वन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1(68)वन/2017 जयपुर दिनांकः- 02.04.2018

विषय:- Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII & XIX in Rajasthan in Distric Jhalawar

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/11683/2015

महादेय

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानवूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ. न. 11-9/98- एफसी दिनांक 03.01.2005., 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction Road from Beenaganj road to Balwatpura under RIDF XVIII & XIX in Rajasthan in District Jhalawar में 0.936 हेक्टेयर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीवन जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (Online Submission & monitoring of forest wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदथ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई- चालान की छायाप्रति जमा की गई की गई धन राशि का बैंक चालानों यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की. दरों मे बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगी।
13. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2023 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि / क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय

(योगेन्द्र कुमार दक)

शासन सचिव-वन

डीआईपीआर/सी/6306/2023

FORM -1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No 72 /Judl/2016 Dated 5-01-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Act (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF s dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.936 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Binaganj road to Balbatpura falls within jurisdiction of Gram Panchayat Kolukhedi Maliyan Village Ganeshpura Dadawat, Ladpura Balram & Goverdhanpura in Manoharthana tehsil.

It is further certified that :-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.936 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Divisiopn Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B.
(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.: As above

(Bishnu Charan Mallick)
District Collector & District Magistrate
Jhalawar

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,झालावाड़ की दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा 03 (1) व (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की बैठक आहूत की गई जिसमें उप खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति अकलेरा, असनावर, मनोहरथाना द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को अपवर्तन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का [illegible] परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही अधिकार में कोई दावा लंबित है ।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पर्क सड़कों जिनके सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा,खानपुर के द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि का अपवर्तन करने की अभिशंषा की जाती है ।

क्र. स.	[illegible]	[illegible]	उप खण्ड क्षेत्र	खसरा नम्बर	अपवर्तन के लिये वांछित भूमि
1	2	3	4	5	6
1	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	अकलेरा	[illegible]	560X10 =5600 [illegible] = 0.56 हैक्टेयर
2	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	195,150	410X8 =3280 [illegible] = 0.328 हैक्टेयर
3	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	820X8 =6560 [illegible] = 0.6560 हैक्टेयर
4	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	390X9.0=3510 [illegible] = 0.351 हैक्टेयर
5	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	510X9.0=4590 [illegible] = 0.459 हैक्टेयर
6	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140X9.0=1260 [illegible] = 0.126 हैक्टेयर
7	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	770 [illegible] = [illegible] हैक्टेयर
8	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6094 [illegible] = [illegible] हैक्टेयर
9	सम्पर्क सड़क [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2170 [illegible] = [illegible] हैक्टेयर

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,झालावाड़

उप वन संरक्षक
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़
दिनांक 10.8.2015

क्रमांक वन अधिकार अधिनियम / 2015-16 / 1586-93

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड़ ।
2 उप वन संरक्षक, झालावाड़ ।
3 उप खण्ड अधिकारी अकलेरा असनावर मनोहरथाना ।
4 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा [illegible] ।
5 रक्षित पत्रावली ।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी(भाजा)
जिला परिषद झालावाड़

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,झालावाड की दिनांक 10.8.2015 को दोपहर: 2.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा–03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 10.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की बैठक आहूत की गई जिसमें उप खण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, अकलेरा, असनावर, मनोहरथाना द्वारा सम्पर्क सडकों के निर्माण कार्यो में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है ।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पर्क सडकों, जिनके संबंध में अधिशाषी अभियन्ता,सार्वजनिक निमार्ण विभाग खण्ड अकलेरा,खानपुर के द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यो में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने की अभिशंषा की जाती है ।

क्र. सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उप खण्ड क्षेत्र	खसरा नम्बर	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि
1	2	3	4	5	6
1	सम्पर्क सडक,चन्द्रपुरीया	गुलखेडी	अकलेरा	1	560X10 =5600 वर्गमीटर = 0.56 हैक्टेयर
2	सम्पर्क सडक,गणेशपुरा लोढान	चान्दपुराभीलान	म.थाना	195/150	410X8 =3280 वर्गमीटर = 0.328 हैक्टेयर
3	सम्पर्क सडक,गणेशपुरा लोढान	चान्दपुराभीलान	म.थाना	149	820X8 =6560 वर्गमीटर = 0.6560 हैक्टेयर
4	सम्पर्क सडक,गणेशपुरा दडावट	कोलूखेडी मालियान	म.थाना	199	390X9.0=3510 वर्गमीटर = 0.351 हैक्टेयर
5	सम्पर्क सडक,लाडपुरा बलराम	कोलूखेडी मालियान	म.थाना	516/75	510X9.0=4590 वर्गमीटर = 0.459 हैक्टेयर
6	सम्पर्क सडक,गोर्धनपुरा	कोलूखेडी मालियान	म.थाना	164/93	140X9.0=1260 वर्गमीटर = 0.126 हैक्टेयर
7	सम्पर्क सडक,मोरियाखेडी	रूपारेल	असनावर	203	770 वर्गमीटर = 0.077 हैक्टेयर
8	सम्पर्क सडक,सेकला	रूपारेल	असनावर	91,76, 100,101	6994 वर्गमीटर = 0.6994 हैक्टेयर
9	सम्पर्क सडक,बड़बेला	रूपारेल	असनावर	395	2170 वर्गमीटर = 0.2170 हैक्टेयर

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,झालावाड

उप वन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड
दिनांक 10.8.2015

क्रमांक:वन अधिकारी अधिनियम/2015–16/586-93

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड ।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड ।
3. उप खण्ड अधिकारी,अकलेरा,असनावर,मनोहरथाना ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनकि निर्माण विभाग,खण्ड,अकलेरा,खानपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं परियोजना अधिकारी(माडा)
जिला परिषद,झालावाड

कार्यालय अधिशाषी अभियंता,सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

दिनांक 13/07/2015

क्रमांक 412

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद झालावाड़

विषय :– बीनागंज सड़क से बलबटपुरा के निर्माण मे आ रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बीनागंज सड़क से बलबटपुरा के मार्ग मे ग्राम पंचायत कोलूखेडी मालीयान की 0.936 हेक्टर वन भूमि आ रही है जिसके प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–03 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है। अतः निवेदन है कि इस हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करने का श्रम करें।

इस हेतु ग्राम स्तरीय उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदन करवा लिया गया है। जिसकी प्रति सलंग्न है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन का प्रारूप एवं जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी होने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप सलंग्न है।

सलंग्न उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एम.एल. गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

दिनांक 12 / 02 / 2015 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम बलबटपुरा ग्राम पंचा0 कोलूखेडी मालियान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड की बैठक सम्पन्न हुई। इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नाकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नही है।

क्रमांक	ग्राम	खसरा नंबर	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वंचित भूमि
1	गणेशपुरा दडावट	199	कोलूखेडी मालियान	390X9.0 = 3510 वर्ग मिटर = 0.351 हेक्ट0
2	लाडपुरा बलराम	516 / 75	कोलूखेडी मालियान	510X9.0 = 4590 वर्ग मिटर = 0.459 हेक्ट0
3	गोर्धनपुरा	164 / 93	कोलूखेडी मालियान	140X9.0 = 1260 वर्ग मिटर = 0.126 हेक्ट0
				कुल = 0.936 हेक्ट0

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव
कोलूखेडी मालियान

सरपंच
ग्रा० पं० कोलूखेडी मालियान
कोलूखेडी मालियान

दिनांक 10 / 07 / 2015 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति मनोहरथाना की बैठक सम्पन्न हुई। इसमे दर्ज विवरण के अनुसार निम्नाकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) व 3 (2) के प्रावधानानुसार वनाधिकारी का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नही है।

क्रमांक	ग्राम	खसरा नंबर	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिए वंचित भूमि
1	गणेशपुरा दड़ावट	199	कोलूखेडी मालियान	390X9.0 = 3510 वर्ग मिटर = 0.351 हेक्ट0
2	लाडपुरा बलराम	516 / 75	कोलूखेडी मालियान	510X9.0 = 4590 वर्ग मिटर = 0.459 हेक्ट0
3	गोर्धनपुरा	164 / 93	कोलूखेडी मालियान	140X9.0 = 1260 वर्ग मिटर = 0.126 हेक्ट0
				कुल = 0.936 हेक्ट0

क्षैत्रीय वन अधिकारी
मनोहरथाना

विकास अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहथाना

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हूखेड़ी मालियान

पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

क्रमांक-: | दिनांक 13/7/2015

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता महोदय
सार्वजनिक निर्माण विभाग अकलेरा

विषय-: अनापत्ति प्रमाण पत्र

सन्दर्भ -:

श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग अकलेरा द्वारा ग्राम गलेरा डाबल के खसरा नं. 199 की 0.351 हैक्टे०, ग्राम लालपुरा बलराम के खसरा नं. 516/75 की 0.459 हेक्टे० एवं ग्राम गोविन्दपुरा के खसरा नं. 164/93 की 0.126 हेक्टे० ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान के वन विभाग की भूमि में से होकर यदि डामरीकरण सड़क बीनागंज रोड से बलवंतपुरा का निर्माण किया जाता है तो ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान को कोई आपत्ति नहीं है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आज दिनांक 13/7/2015 को ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान से मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

सरपंच
ग्रा० पं० कोलूखेड़ी मालियान
पं०स० मनोहरथाना (झालावाड़)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हूखेड़ी मालियान

पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

क्रमांक-:

दिनांक 26/11/2014

श्रीमान- अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० विभाग खण्ड अकलेरा

विषय-: सम्पर्क सड़क मीणांज रोड से बलावटपुरा तक डामर सड़क बनवाने हेतु

सन्दर्भ-:

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सम्पर्क सड़क मीणांज रोड से बलावट पुरा तक डामर की सड़क बनाने के लिये 1070 मीटर लम्बाई वन विभाग से गुजरती है। बलावटपुरा के सभी ग्रामवासी इसी रास्ते से गुजरते हैं ग्राम वासियों की मांग पर सार्व० निर्माण विभाग द्वारा डामर की सड़क बनवाने के लिये वन विभाग रेंज म.थाना से बलावट पुरा के लिये 1070 मी. लम्बाई व 8.50 मीटर चौड़ाई की वन विभाग की भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव संख्या 5 से लिया गया है। तथा वन विभाग के प्रस्ताव की फोटो-कापी संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न - प्रस्ताव प्रति सं.-5

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत कोल्हूखेड़ी मालियान
पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़(राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान पं.स. मनोहरथाना

दिनांक 12/2/2014

~~श्री ग्राम विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति मनोहरथाना के आदेश के सं.~~

श्री मति कस्तूरीबाई 2372 - 2415 दिनांक 7/2/2014 की अनुपालना में सरपंच ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान की अध्यक्षता में आज दिनांक 12/2/2014 बुधवार को प्रा.10 बजे ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे निम्न कर्मचारीयो एवं जन प्रतिनिधियो के तथा ग्रामवासियो ने भाग लिया

1. श्रीमति कस्तूरी बाई — सरपंच — कस्तूरीबाई

सरपंच
ग्राम पंचायत को.मा.
[illegible]

2. श्री लाल माली — उपसरपंच

ग्राम पं. कोलूखेड़ी मालियान
पं.स. मनोहरथाना जि. झाला.

3

4. वीरेन्द्र सिंह — ग्राम सेवक

5. हरिराम बैरवा — रोजगार सहायक

6. कमलेश सुमन — सुरक्षा गार्ड

7. चन्द्रकला बाई — वा.के. 9799237378

8. धर्मवीर सिंह — प्र०अ० रा०मा०वि० कोलूखेड़ी मालियान — धर्मवीर

9. ॐप्रकाश — प्र० अ० रा० प्रा० वि० कोलूखेड़ी मालियान — [illegible]

10. शोभाबाई — आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र कोलूखेड़ीमा० शोभाबाई

11. ममताबाई — सहायिका आंगनबाड़ी केन्द्र को.मा. — ममताबाई

12. बाबूलाल — वार्ड पंच खेरखेड़ी माता — बा। [illegible]

13

प्र.सं.2 ग्राम सभा मे ग्राम कोलुखेडी मालिपान को जलदाय परियोजना से जोड़ने हेतु प्रस्ताव हेतु पारित कर सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ताकि ग्राम वासियों को पेयजल से निजात मिल सके इसका प्रस्ताव बनाकर सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग खण्ड [illegible] को भिजवाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया जिसका सर्व. सम्मति से अनुमोदन किया गया

प्रस्ताव सं. 3 ग्राम सभा में कार्यरत राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलुखेडी मालिपान के पत्रांक/क्रमांक 32 दिनांक 12.9.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि स्थानीय विद्यालय भवन की छत लगातार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है अतः इसका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया तथा स्थानीय विद्यालय रा.प्रा.वि. कोलुखेडी मालिपान की छत मरम्मत हेतु राशि - 1.00 ला. FC/SFC योजनान्तर्गत करवाने हेतु प्रस्ताव पारित कर सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया

प्रस्ताव सं. 4 नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम सभा के निम्न कार्य करवाने जाने हेतु प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर अनुमोदन किया गया जो निम्नानुसार है —

1. सार्व. तालाब निर्माण मय [illegible] गांगाहेडी - 15.00 लाख
2. भूमि समतलीकरण [illegible] राजकीय बाड़ा कोलुखेडी मालिपान - [illegible] चारदीवारी निर्माण एवं उस पर वृक्षारोपण — 25.00 लाख

प्रस्ताव सं. 5 ग्राम पंचायत कोलुखेडी मालिपान की सम्पर्क सड़क भीलवाड़ा रेंज से [illegible] के लिये 1070 मीटर लम्बाई वन भूमि में से गुजरती है तथा ग्राम [illegible] के लिये ग्रामवासियों का इस रास्ते से आना जाना है ग्रामीणों की मांग पर वन भूमि से सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड [illegible] द्वारा [illegible] वन विभाग रेंज [illegible] ग्राम [illegible] के लिये 1070 मी. लम्बाई व 8.50 मीटर चौड़ाई के वन विभाग की भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव ग्राम वासियों के कोरम द्वारा सर्व. सम्मति से पास कर वन विभाग के प्रस्ताव की [illegible] भिजवाने का निर्णय लिया जाता है।

ग्राम सभा की बैठक सरपंच महोदय की अध्यक्षता मे सधन्यवाद समाप्त की गई